न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 80 / 2012

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ

RAS

1 मुकेश कुमार ओसवाल पुत्र हरीनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 8 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार पुत्र गोपाल।

2 सन्तोष कुमार पुत्र गोपाल।

3 मुकेश कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मिश्री देवी पत्नी श्री गोपाल।

4 अमित कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मिश्री देवी पत्नी श्री गोपाल समस्त जाति बलाई निवासीगण वार्ड नं. 9 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 श्रीमती कविता देवी पत्नी पवन कुमार जाति गुवारियां निवासीनी वार्ड नं. 01 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

6 गोपाल पुत्र हणमान बलाई निवासी वार्ड नं. 9 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

7 पटवारी हल्का कसरड़ा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

8 सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

9 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.05.2012
न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला मु0
नम्बर 233/2011 उनवानी सुरेश कुमार
बनाम श्रीमती कविता आदि

उपस्थित

1. श्री विनोद सरोज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.01.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 233/2011 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विवादित भूमि खसरा 297,298,298/1088 तन ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कांसरड़ा स्वंय की पैतृक भूमि होना अंकित कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के उपस्थित नही आने पर प्रार्थी को सुनकर विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि के 1/3 भाग

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हनुमान का हिस्सा गोपाल, हंसा, मोहरी के नाम दर्ज हो गया गोपाल ने अपना हिस्सा 07.11.2005 को कविता को विक्रय कर दिया कविता ने 08.06.2011 को मुकेश को विक्रय कर दिया । विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। पैतृक भूमि में पौतो का अधिकारी बताते हुये स्थगन लिया गया है हमारे विक्रय पत्र को कोई चुनौती नही दी गई है। हम सदभावी केता है अपील स्वीकार कर स्थगन खारिज किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि उदघोषणा का दावा है वाद बाहुलयता नही हो इस लिये स्थगन दिया है अधिकारी दावे में तय होगें। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि पैतृक है विभाजन से पूर्व गोपाल को भूमि विक्रय का अधिकार था अथवा नही, वादी के क्या अधिकार है यह सभी तथ्य मूल वाद में तय होने से शेष है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में 1/3 हिस्से तक की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर